राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ..2261/2016...जिला...........जयपुर..

उनवान – मैसर्स बालाजी कम्यूनिकेशन, इन्द्रा बाजार, जयपुर बनाम 1. अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, जयपुर 2. सहायक आयुक्त, प्रकिरापवंचन, संभाग–द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.11.2016	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री वी.के.पारीक एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2016 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 50,09,540/– में से रू0 32,11,244/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया एवं शेष बकाया मांग राशि रू0 17,98,296/– को स्थगित नहीं करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। जिसके विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 38(4)/83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि रूपये 17,98,296/– की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19.09.2016 का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली की रोक पर प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। 07/11/16 लगातार..............2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2261/2016..जिला..........जयपुर..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/11/2016	उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी का सर्वेक्षण दिनांक 16.07.2015 को करते हुए प्रकरण में मोबाईल फोन के पार्टस् एवं एसेसरीज का भौतिक सत्यापन किये जाने पर पाया कि व्यवहारी अभिग्रहित दस्तावेजों के अनुसार संव्यवहारों का सत्यापन नियमित लेखा पुस्तकों से करवांने में असफल रहा है। जिससे प्रथम दृष्टया उसकी करापवंचना की मंशा सिद्ध होने पर निर्धारण अधिकारी ने कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया है। अपीलीय अधिकारी ने विवादित मांग राशि रूप्ये 50,09,540/– में से 32,11,244/– की वसूली को उनके समक्ष लम्बित अपील तक स्थगित किया है। बकाया मांग राशि रूपये 17,98,296/– की वसूली को स्थगित किये जाने बाबत व्यवहारी द्वारा निवेदन किया गया है। प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है, अतः अपीलार्थी के विरूद्ध कायम विवादित मांग राशि को स्थगित किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। 07/11/16 (राजीव चौधरी) सदस्य (मदन लाल) सदस्य	